हरियाणा सरकार

आबकारी तथा कराधान विभाग

अधिसूचना

दिनांक 8 अगस्त , 2006

संख्या वैब 10/ह0अ0 06 /2003/ धा0 59/ 2006.— संशोधन का निम्नलिखित प्रारूप जिसे हरियाणा के राज्यपाल, हरियाणा मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2003 (2003 का 6), की धारा 59 की उप—धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त अधिनियम से संलग्न अनुसूची ग तथा छ में बनाने का प्रस्ताव करते हैं, ऐसे सभी व्यक्तियों की जानकारी के लिए, इसके द्वारा, प्रकाशित किया जाता है, जिनके इससे प्रभावित होने की सम्भावना है।

इसके द्वारा, नोटिस दिया जाता है कि इस अधिसूचना के कार्यालय वेबसाईट डब्ल्यू डब्ल्यू डब्ल्यू डॉट हरियाणा टैक्स डॉट कॉम पर अपलोडिंग की तिथि से दस दिन की अवधि की समाप्ति पर, या इसके पश्चात् सरकार , संशोधन प्रारूप पर, ऐसे आक्षेपों या सुझावों सहित, यदि कोई हों, जो सचिव, हरियाणा सरकार, आबकारी तथा कराधान विभाग, चण्डीगढ़, द्वारा संशोधन प्रारूप के सम्बन्ध में किसी व्यक्ति से इस प्रकार विनिर्दिष्ट अवधि की समाप्ति से पूर्व प्राप्त किए जाएं, विचार करेगी।

संशोधन प्रारूप

हरियाणा मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2003 (2003 का 6) में,—

1 अनुसूची ग में, क्रम संख्या 68 तथा उसके सामने प्रविष्टि के स्थान पर, निम्नलिखित क्रम संख्या तथा प्रविष्टि प्रतिस्थापित की जायेगी, अर्थात :-

"68 पूर्व—स्वामित्वाधीन मोटर वाहन अनुसूची 'छ' में प्रविष्टि 2 के अध्यधीन जब मोटर वाहन के क्रय तथा विक्रय में व्यापार करने वाले व्यवहारी द्वारा बेचें जाएें।"।

2. अनुसूची छ में, खाना 1,2,3 तथा 4 के नीचे, क्रम संख्या 1 तथा उसके सामने प्रविष्टि के बाद, अंत में, निम्नलिखित क्रम संख्या तथा उसके सामने प्रविष्टियां जोड़ दी जायेंगी, अर्थात्:—

1	2	3	4
"2(क)	1000 सी0 सी0 ईन्जन से अनधिक क्षमता की पूर्व स्वामित्वाधीन कारें।	3000/— रुपये प्रति कार	इस अधिनियम के अधीन कर भुगतान के लिए दायी किसी व्यवहारी द्वारा प्रथम विक्रय
(ख)	1000 सी0 सी0 ईंजन से अधिक क्षमता की पूर्व स्वामित्वाधीन कारें।	5000/— रुपये प्रति कार	इस अधिनियम के अधीन कर भुगतान के लिए दायी किसी व्यवहारी द्वारा प्रथम विक्रय"।

एल.एस.एम. सालिन्स,

वित्तायुक्त एवं प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार,

आबकारी तथा कराधान विभाग।

HARYANA GOVERNMENT
EXCISE AND TAXATION DEPARTMENT

Notification

The 8th August, 2006

No. Web 10/H.A. 6/2003/S. 59/2006.– The following draft of amendment which the Governor of Haryana proposes to make in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 59 of the Haryana Value Added Tax Act, 2003 (6 of 2003), in Schedules C and G appended to the said Act, is published below for the information of persons likely to be affected thereby.

Notice is hereby given that the draft of amendment will be taken into consideration by the Government on or after the expiry of a period of ten days from the date of uploading of this notification on the official web-site www.haryanatax.com together with objections or suggestions, if any, which may be received by the Secretary to Government, Haryana, Excise and Taxation Department, Chandigarh, from any person with respect to the draft of amendment before the expiry of the period so specified:-

Draft Amendment

In the Haryana Value Added Tax Act, 2003 (6 of 2003) –

1. In Schedule C, for serial number 68 and entry thereagainst, the following serial number and entry thereagainst shall be substituted, namely:-

"68. Pre-owned motor vehicle when sold by a dealer dealing in purchase and sale of motor vehicle subject to entry 2 in Schedule G";

2. In Schedule G, under columns 1,2,3 and 4, after serial number 1 and entries thereagainst, the following serial number and entries thereagainst shall be added at the end, namely:-

1	2	3	4
"2(a)	Pre-owned cars having engine capacity not exceeding 1000 cc	Rs. 3000 per car	First sale by a dealer liable to pay tax under this Act
(b)	Pre-owned cars having engine capacity exceeding 1000 cc	Rs. 5000 per car	First sale by a dealer liable to pay tax under this Act".

L.S.M. SALINS
Financial Commissioner and Principal Secretary
to Government, Haryana, Excise and Taxation Department.